न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री,R.A.S.

प्रकरण संख्या – 67/2015 अपील/बांसवाड़ा
पंजीयन दिनांक– 21.08.2018
निर्णय दिनांक– 12.07.2019

1. श्रीमती शान्तिदेवी आत्मजा श्री होकमा भील निवासी भीमसौर, तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा
2. श्रीमती शीला आत्मजा श्री जीवाजी भील निवासी भीमसौर, तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा जरिय अधिकार–पत्र धारी श्री गुलाबजी पिता स्व. श्री हकरूजी भील निवासी निवासी भीमसौर, तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा हाल गोकुलश्री के सामने वाडिया कॉलोनी बांसवाड़ा

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती तारा पत्नी श्री गटु भील निवासी लोहारिया, तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा
2. तहसीलदार बांसवाड़ा

.....रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितः–

श्री महेश भट्ट : अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री डी.एस.शक्तावत : अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1
श्री योगेन्द्र दशोरा : राजकीय अभिभाशक रेस्पोडेन्ट संख्या 2

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट–1956
विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा
के प्रकरण संख्या 22/2015 निर्णय दिनांक 16.06.2015

निर्णय

दिनांक– 12.07.2019

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा के प्रकरण संख्या 22/2015 निर्णय दिनांक 16.06.2015 के विरूद्ध दिनांक 17.08.2015 को पेश की गई है।

इस प्रकरण के प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा मौजा जानाखेड़ी के आराजी नम्बर 648/305–306 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि की नक्शे में तरमीम करवाये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय 16.06.2015 में श्री विठला पिता फुलीया भील को आराजी नम्बर 306 में 5 बीघा भूमि वर्ष 1988 में आवंटन होने के कारण उसके नाम नामान्तरकरण संख्या 271 दिनांक 09.03.1990 से गैर खातेदारी हक से दर्ज हुई। जिसका बाद में बट्टा नम्बर 677/306 पड़ा। श्री विठला भील द्वारा उक्त भूमि दिनांक 11.11.2009 से प्रार्थीयों को विक्रय की गई, जिससे भूमि हस्तानान्तरित हुई। वर्ष 1988 में श्री विठला को उक्त आराजी पर काबिज होना एवं वर्ष 2009 में विक्रय करना तथां उक्त आराजी की पैमूदगी इस स्थान पर हुई उसी स्थान पर क्रेता प्रार्थीया को काबिज होना मानते हुए इतने लम्बे अन्तराल के बाद क्रेतागण का यह कहना कि वह जिस स्थान पर काबिज है वहां पैमूदगी नहीं की है, सत्यता से परे होना माना एवं विठला द्वारा बेची गई भूमि पर प्रार्थीया का कब्जा है तो उसे वर्तमान खातेदार को पक्षकार बनाया जाना चाहिये था, किन्तु प्रकरण में प्रार्थीया ने ऐसा नहीं किया है। अतः आराजी नम्बर 648/305–306 रकबा 3.05 बीघा भूमि के वर्तमान खातेदार को सुने बिना उसके विरूद्ध कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है एवं प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत तरमीम दुरस्ती का प्रार्थना पर खारिज कर दिया गया।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री महेश भट्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से श्री डी.एस.शक्तावत एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। उभय पक्ष अधिवक्ताओं की दिनांक 04.07.2019 को बहस सुनी गई।

दौराने बहस अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपने अपील मेमों के तथ्यों का ही दौहराव करते हुए बताया कि अपीलार्थीगण ने मौजा जानामेड़ी की आराजी नम्बर 677/306 रकबा 5 बीघा भूमि श्री विठला पिता फूलिया से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के क्रय कर भूमि का वास्तविक भौतिक कब्जा प्राप्त किया और कब्जा लेने के बाद क्रयशुदा भूमि पर एक कच्चा मकान निर्माण कर बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन कर रखा है। विक्रय विलेख के आधार पर अपीलार्थी के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 811 दिनांक 18/12/2009 निर्णित किया गया। उस समय से ही जमाबन्दी में उक्त

आराजी नम्बर भूमि क्रेता के नाम दर्ज है। सम्वत् 2019 से ग्राम जानाखेड़ी की मूल आराजी नम्बर 306 रकबा 29 बीघा 7 बिस्वा के 5 बीघा भाग पर श्री विठला के पिता श्री फूलीया पिता कालिया का कब्जा चला आ रहा था। सम्वत् 2036 में उसे अस्थायी आवंटन हुआ, जिसका इन्द्राज खसरा गिरदावरी में है। यह ध्यान देने योग्य है कि बांसवाड़ा जिले में सम्वत् 2025 से राजस्व जमाबन्दी तैयार की जाने लगी और ग्राम जानाखेड़ी की पहली जमाबन्दी सम्वत् 2027 में बनी। इसके पहले का रिकार्ड ऑफ राइट्स खसरा गिरदावरियों को ही माना जाता था। इस कारण खसरा गिरदावरियों की प्रविष्टियों की एविडेन्शियरी वेल्यू को इस मामले में प्राथमिकता दी जावे। इसी मौजा में 2 अन्य आराजी नम्बर 236 रकबा 7 बीघा एवं 305 रकबा 14 बीघा 11 बिस्वा भूमि स्थित है। जिनकी अलग–अलग सीमाऐं होकर अलग–अलग काश्तकार है। अपीलार्थीगण की उपरोक्त आराजी से काफी दूर एक अन्य आराजी नम्बर 648/236/2 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि स्थित है, जो श्री विठला पिता जेतिंग भील की खातेदारी में चला आ रहा था। उक्त श्री विठला के देहान्त के बाद उसकी भूमि विरासत से उसके उत्तराधिकारियों श्री देवु, शंकर पिता विठला और श्रीमती राजु बेवा विठला भील के नाम पर नामान्तरकरण संख्या 662 दिनांक 02.01.2006 को तस्दीक हुआ। इसके बाद स्व. श्री विठला के वारिसान ने उक्त भूमि प्रत्यर्थिया संख्या 1 को हस्तान्तरित कर दी। जिसका नामान्तरकरण संख्या 678 दिनिांक 18.02.2006 को तस्दीक हुआ। इसके बाद कुछ स्वार्थी तत्व एवं भू–माफिया अपीलार्थीगण के पीछे लग गये और उन्होंने अपीलार्थीगण की भूमि को हड़पने का षड़यंत्र किया। इसी क्रम में प्रत्यर्थिया संख्या 1 ने रेकार्ड में हेराफेरी करके कोई फर्जी नक्शा बनवा लिया और अपीलार्थीण की आराजी नम्बर 677/306 को अपना आराजी नम्बर बताकर मौके पर अपीलार्थीगण के आराजी में नाजायज कब्जा करने का प्रयास करने लगी। उसके पीछे कुछ स्वर्ण प्रभावशाली लौग थे, जो उसे उकसा रहे थे व जिन्होंने उसके नाम पर आराजी नम्बर 648/236/2 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि को क्रय किया था। सम्वत् 2019 यानि सन् 1962 की खसरा गिरदावरी ओर सम्वत् 2027–30 की प्रथम जमाबन्दी के अनुसार विठला पिता जेतिंग के नाम पर दर्ज आराजी का नम्बर 648/236/2 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा था, लेकिन राजस्व कर्मचारियों की भूल से या इरादतन सम्वत् 2027–30 की अगली जमाबन्दी में प्रिवीयस एन्ट्रीज को रिपीट करने के सुसंस्थापित कायदे का पालन नहीं कर आराजी नम्बर 648/305–306 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा अंकित कर दिया गया। ये एन्ट्रीज नामान्तरकरण संख्या 56 के आधार पर किया जाना पाया जाता है। ये सब एन्ट्रीज हाल ही में प्रत्यर्थिया संख्या 1 के जमीन खरीदने के बाद में मेनिपुलेट और एडजस्टमेन्ट के तहत कराई गई प्रतीत होती है। अपीलार्थीगण को शक है कि यह काटफॉस सन्

2006–2010 के मध्य कभी की गई, जब प्रत्यर्थिया संख्या 1 ने यह भूमि खरीदी। इसके पहले की खसरा गिरदावरी सं. 2019 में विठला पिता जेतिंग के नाम पर दर्ज आराजी का नम्बर 648/236/2 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा था और जिसका खाता नम्बर 60 था। पुराने रेकार्ड में जाकर काटाफॉसी करने के पीछे भूमि दलालों का मेन्सरिया यह था कि उन्हे आराजी नम्बर 305–306 में कब्जा करना था, क्योंकि इस भूमि में पॉलिटेक्निक कॉलेज बन जाने के कारण इस भूमि की कीमत में भारी उछाल आ गया था। आवंटन के पश्चात् आराजी नम्बर 236 में 6 बिस्वा, आराजी नम्बर 306 में 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि रिक्त थी, जबकि आराजी नम्बर 305 में तो एक इंच भूमि रिक्त नहीं थी। अपीलार्थीगण की भूमि पर प्रत्यर्थिया संख्या 1 व उसके साथ कुछ भू–माफिया लौग कब्जा करने आये तो उन्हे वहॉ से खदेड़ने के बाद अपीलार्थीगण ने दिनांक 12.03.2010 को थानाधिकारी बांसवाड़ा, दिनांक 15.03.2010 को जिला कलक्टर बांसवाड़ा ओर दिनांक 22.03.2010 को उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा को सम्पूर्ण घटनाक्रम की लिखित शिकायत की। उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा ने दिनांक 25.03.2010 को नायब तहसीलदार बांसवाड़ा से मौके व रेकार्ड की रिपोर्ट तलब की, जो रिपोर्ट दिनांक 03.05.2010 को तैयार की गई ओर उसी रिपोर्ट के आधार पर इस अपील में वर्णित मूल आराजी नम्बर 305 और 306 में प्रत्यर्थिया संख्या 1 को कोई आवंटन नहीं हुआ है। प्रत्यर्थिया संख्या 1 के पूर्वहितधिकारी को इन दोनों आराजियात में कोई आवंटन ही नहीं हुआ है, फिर भी उसके द्वारा अपनी आराजी नम्बर 648/236/2 को अपीलार्थीगण की आराजी नम्बर 677/306 में बताने के लिये जिस नक्शा ट्रेस का सहारा लिया जा रहा था, उसके संबंध में एक रिपोर्ट दिनांक 03.05.2010 को प्राप्त हो गई, तो उसके आधार पर अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इन्द्राज दुरस्ती के लिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का पेश किया गया। दौराने कार्यवाही इसमें प्रत्यर्थिया संख्या 1 को दिनांक 05.10.2012 को पक्षकार बनाये जाने का आदेश हुआ, जो फर्द अहकाम पर पारित किया गया है। दिनांक 30.11.2012 को प्रत्यर्थिया संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री शाहिद खान ने उपस्थिति दी और कई अवसर देने के उपरान्त भी प्रत्यर्थिया संख्या 1 ने कोई जवाब पेश नहीं किया तो दिनांक 22.03.2013 को उसका जवाब बन्द कर दिया गया। इसके उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय में यह मानकर कि खातेदार को पार्टी नहीं बनाया गया एवं अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय का यह निर्णय न्याय, नियम, विधि तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के पूर्णतः विपरीत होकर अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल जमाबन्दी सं. 2031 के आधार पर प्रत्यर्थिया संख्या 1 को आराजी नम्बर 648/305–306 का खातेदार मानकर नायब तहसीलदार जी

की उस रिपोर्ट दिनांक 03.05.2010 को अनदेखा कर दिया, जो अधीनस्थ न्यायालय के पूर्व पीठासीन अधिकारी जी द्वारा तलब की गई थी और जिसके विषय में प्रत्यर्थीगण ने अपना कोई खण्डन या आपत्ति पेश नहीं की। इस रिपोर्ट के मुताबिक प्रत्यर्थिया संख्या 1 को आराजी नम्बर 236 में आवंटन हुआ है और आराजी नम्बर 305 व 306 में कोई आवंटन ही नहीं हुआ है। इस तरह आक्षेपित निर्णय रेकार्ड के विरीत होकर अपास्त होने योग्य है। आराजी नम्बर 305 व 306 का रकबा ही जब क्रमशः 14 बीघा 11 बिस्वा ओर 29 बीघा 7 बिस्वा है और उसमें अपील मेमों में वर्णित सारणी अनुसार आवंटन किये जा चुके है एवं आराजी नम्बर 305 में शून्य रकबा बचता है तथा आराजी नम्बर 306 में इतना रकबा है ही नहीं कि उसमें प्रत्यर्थिया संख्या 1 को 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि आवंटन होना माना जा सके। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया विवेचन एक हठधर्मिता और सच्चाई जानने से इन्कार करना ही कहा जा सकता है। विठला पिता जितेंग भील को आराजी नम्बर 236 में आवंटन हुआ या नहीं, इसके विश्लेषण की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। अपीलार्थीगण का अपनी आराजी नम्बर 677/306 के जिन चार पड़ोस के मध्य वर्तमान में कब्जा चला आ रहा है, उसका क्षेत्रफल रेकार्ड के अनुसार 5 बीघा है और इस भूमि की जो खसरा गिरदावरियों पर फसल का उल्लेख है, जिससे भी स्पष्ट है कि वे जिस जगह पर काबिज है वह आराजी नम्बर 677/306 है, न कि आराजी नम्बर 648/305–306 । वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थीगण का कब्जा होते हुए भी इस भूमि के लिये की गई गलत पैमूदगी को यथावत रखकर अधीनस्थ न्यायालय ने गलत, अवैध एवं त्रुटिपूर्ण निर्णय प्रदान किया है। अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदारजी ने जो जवाब पेश किया, उसमें भू–माफियाओं के दबाव में नायब तहसीलदार जी की रिपोर्ट दिनांक 03.05.2010 को भी छिपाया गया है। जिसके आधार पर अपीलार्थीगण के कब्जे की जमीन पर प्रत्यर्थिया संख्या 1 की आराजी की पैमूदगी कर दी गई। आक्षेपित निर्णय के बाद इस अपील की तैयारी के लिए जब अपीलार्थीगण ने अपनी जमीन का एक विस्तृत नक्शा दिनांक 05.08.2015 को प्राप्त किया, तो उन्हें पहली बार ये पता चला कि नक्शा में हेराफेरी किस स्तर पर की गई। इस आदेश को छिपाकर रखा गया ओर जब भी नक्शा की नकल मांगी गई तो इस पर लगे दाखिले को छिपाकर नकले जारी की गई ताकि अपीलार्थीगण को इस दाखिले के बहाने तहसीलदारजी द्वारा पारित उस एक तरफा आदेश की भनक नहीं पड़ सके, जो कि गैर कानूनी पैमूदगी का आधार रहा है। तहसीलदारजी द्वारा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर जवाब पेश करना अपने आप में एक धोखा है और इससे साफ जाहिर है कि वे प्रभावशाली पक्ष को बचाने ओर उन राजस्व कर्मचारियों व तत्कालीन तहसीलदारजी– जिनके द्वारा दिनांक 18.02.2010 को नक्शा में

पैमूदगी के लिए आदेश पारित किया गया– को भी बचाने के लिये लगे हुए थे। यदि आदेश दिनांक 18.02.2010 में ऐसी कोई छिपाने लायक बात नहीं थी, तो उसके आधार पर तहसीलदारजी ने अपना पक्ष उजागर क्यों नहीं किया। यह पदीय कर्तव्यों का खुला उल्लंघन ओर गम्भीर किस्म का दुराचरण है। इस तरह तहसीलदार जी द्वारा तथ्यों को छिपाकर की गई जवाबदेही पर आधारित निर्णय प्रारम्भ से ही शून्य, अवैध एवं क्षेत्राधिकार विहीन है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने ही द्वारा पारित उस आदेश दिनांक 05.10.2012 को अनदेखा कर दिया, जिसके जरिये प्रत्यर्थिया संख्या 1 को पक्षकार बनाया गया और फलस्वरूप गलत व अवैघ रूप से यह मानकर प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया कि खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया गया। इस तरह अपीलार्थीगण के साथ भारी अन्याय हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू–राजस्व अधिनियम में लिये गये आधारों की चतुर्सीमा से बाहर जाकर निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के सही और अन्तिम निर्णय के लिये न तो मौका देखा, न मौके की रिपोर्ट मंगवाई, न मूल नक्शा जिसमें छेड़छाड़ की गई उसका परीक्षण किया यानि अपने क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल किये बिना और वर्षो तक इस मामले को लटकाये रखा ओर अचानक एक दिन कुछ असंगत बातों पर गलत व मनमाना निष्कर्ष निकालकर व खातेदार को पार्टी नहीं बनाने के असंगत बिन्दु पर व्यर्थ का विवेचन करके निर्णय पारित कर दिया गया। इससे स्पष्ट है कि मूल विवाद के बिन्दुओं को तो छुआ तक नहीं गया है एवं अपीलार्थीगण को सुना अनसुना कर दिया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सर्वथा विपरीत है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधि विरूद्ध एवं अवैध तरीके से पारित आदेश को अपास्त करना फरमावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा दौराने बहस वर्णित किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि पूर्ण होकर सही है। तहसीलदार द्वारा रेकार्डेड खातेदार के पक्ष में जिस आराजी में वह रेकार्डेड खातेदार है, उसी में तरमीम का आदेश बाद जांच दिया गया है। तहसीलदार के उक्त आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलान्ट द्वारा उठाये गये समस्त उजर तकनीकी उजर है। अपीलान्ट आराजी नं. 306 का खातेदार है तथा वह आराजी नम्बर 306 में तरमीम चाहता है तो उसे तरमीम के लिये आवेदन करना चाहिये था। अपीलान्ट आराजी नम्बर 306 में रेस्पोडेन्ट के पक्ष में की गई तरमीम को अपनी होना बताता है, तो इसे उसके लिये यह स्थापित करना होगा कि रेस्पोडेन्ट के पक्ष में की गई तरमीम की भूमि उसके नाम प्रारम्भ से रेस्पोडेन्ट की तरमीम स्थल पर ही विद्यमान रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के इस तथ्य की रेस्पोडेन्ट की भूमि स्थल पर अपीलान्ट की भूमि रही हो, इस बाबत् कोई प्रमाणन पेश नहीं

किया है अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की अपील सही रूप से खारिज की गई है। तहसीलदार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत खातेदार के पक्ष में धारा 111 से 128 के प्रावधानों के तहत तरमीम किये जाने को अधिकृत है। यदि अपीलान्ट उक्त तरमीम से रूष्ट है तथा वह यह कथन करता है कि रेस्पोडेन्ट के पक्ष में की गई तरमीम की भूमि उसकी है, तो उसे इसके लिये नियमित वाद किया जाकर ही अनुतोष प्राप्त किया जाना चाहिये जैसा कि निम्नानुसार न्यायिक नजीरों में वर्णित है– (1) RLW 2007(1) RJ 120 (2) RLW 2009(2) RJ 710 (3) RLW 2007(1) RJ 1202 (4) RLW 2010(2) RJ 1322 (5) RLW 2009(1) Page 194 (6) RLW 2002(1) RJ 81 । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय युक्तियक्त, विधि संगत एवं उचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सद्भावी त्रुटिवश वर्तमान खातेदार को पक्षकार नहीं बनाये जाने का वर्णन करते हुए आवेदन खारिज किया है परन्तु गुणावगुण के आधार पर भी उक्त प्रार्थना–पत्र पोषणीय नहीं था, न हीं अपील पोषणीय है। वस्तुतः धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के प्रावधान समरी प्रोसेडिंग है, एवं इन प्रावधानों के अंतर्गत पक्षकारों के सहमत होने पर ही निर्णय किया जा सकता है। धारा 136 के तहत वाद अनुसार हक अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती, जैसा कि रेस्पोडेन्ट द्वारा पेश शुदा न्यायिक नजीरों से भी स्थापित होता है। अपीलान्ट द्वारा मूल रेस्पोडेन्ट के पक्ष मे की गई तरमीम के विरूद्ध भी अपील संख्या 04/2018 भी पेश की गई है तथा वर्तमान अपील पेश किये जाने का कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि यह अनावश्यक वाद बहुलता पैदा करेगा एवं अपील संख्या 04/2018 प्रस्तुत करने के बाद वर्तमान अपील निष्फल हो गई है। अतएव अपील खारिज की जायें।

हमारे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अपीलान्ट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के जिस निर्णय के विरूद्ध पेश की गई है, उसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक आधार यह लिया गया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को पक्षकार नहीं बनाया गया है, जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या–1 का पक्षकार बनने का आदेश पत्रावली पर उपलब्ध है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील खारिज किये जाने का यह आधार भी लिया है कि अपीलान्ट द्वारा लम्बे समय बाद रेस्पोडेन्ट के पक्ष में की गई तरमीम को अपने पक्ष की होना बताया है।

प्रकरण में यह स्थिति सुस्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या–1 पक्षकार बनने का आदेश पारीत हो चुका था, तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस आधार पर अपील खारिज किये जाने का आदेश तो पोषणीय नहीं है। प्रकरण में यह भी स्पष्ट होता है कि धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत सिर्फ लिपिकीय अथवा अन्य समान त्रुटियों

का निराकरण पक्षकारान की सहमति से किये जाने का प्रावधान है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट का यह कहना कि रेस्पोडेन्ट उक्त भूमि जिसमें उसके पक्ष मे तरमीम की गई है, का खातेदार ही नहीं है तथा उक्त भूमि उसकी होकर वह काबीज है, इस तथ्य का प्रमाणन वर्तमान अपील या अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 136 के तहत समरी प्रोसेडिंग में नहीं किया जा सकता, जैसा कि रेस्पोडेन्ट द्वारा पेश शुदा न्यायिक नजीरों में विनिश्चित किया गया है। इन्द्राज दुरूस्ती के प्रकरण का सीमित स्कोप होता है। प्रकरण में अपीलान्ट का विवादित भूमि पर रेस्पोडेन्ट के पक्ष में की गई तरमीम स्थल पर स्वत्व होना या कब्जा होना तथा रेस्पोडेन्ट का विवादित आराजी में स्वत्व ही नहीं होना, इस अपील अथवा धारा 136 में विनिश्चित नहीं किया जा सकता। इसके लिये अपीलान्ट को सक्षम न्यायालय में वाद दर्ज करवाकर ही अनुतोष प्राप्त किया जाना चाहिये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकार को लेकर त्रुटिपूर्ण निर्णय पारीत किया है, परन्तु हमारे उपरोक्त विवेचना अनुसार धारा 136 के प्रावधानान्तर्गत अपीलान्ट को चाहा गया अनुतोष दिये जाने के लिये अधीनस्थ न्यायालय सक्षम भी नहीं था, तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना–पत्र को खारिज किये जाने के निर्णय में हम उपरोक्त विवेचनानुसार कोई अनुतोष दिये जाने के लिये विधिक आधार नही पाते, क्योंकि अपील में हम सहायक कलक्टर के धारा 188 आर.टी.ए. 1955 के अधिकारों को अनुप्रयोग नहीं कर सकते।

उपरोक्तानुसार हम अपीलान्ट की यह अपील पोषणीय नहीं पाते तथा अपील अन्तर्गत हम चाहा गया अनुतोष दिये जाने के लिये विधिक रूप से अधिकृत भी नही हैं, क्योंकि धारा 136 के प्रावधान के अंतर्गत पक्षकारों के सहमत नहीं होने पर हक अधिकारों का विनिश्चियन घोषणात्मक वाद में ही किया जा सकता है। अपील खारिज की जाती है। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर की कम की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें ।

निर्णय आज दिनांक 12/07/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति. संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

Web Copy - Not Official